उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

आर0एम0ए0 नं0–49/2021–22

सरिता देवी

बनाम्

सुरज कु0 महतो एवं अन्य

–: आदेश :–

दिनांक 30/3/23

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं एवं विज्ञ सरकारी वकील को सुना। अभिलेखबद्ध कागजातों का अवलोकन किया।

वर्तमान अपील वाद की प्रक्रिया ज्योतिष चन्द्र महतो, पे0–स्व0 तेजनारायण महतो, सा0–सिंघायचक, थाना–ठाकुरगंगटी, जिला–गोड्डा के अपील आवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया है। अपील वाद का सारांश यह है कि अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा ने पी0ए0 केश नं0–10/19–20 के आदेश दिनांक–19.01.2021 के द्वारा उत्तरवादी सुरज कु0 महतो को संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 6 के तहत मौजा–बाबूतालूक नं0–84 का प्रधान नियुक्त किया है, जिसके विरूद्ध अपीलकर्त्ता ने अपील वाद दायर किया है।

अपील वाद की प्रक्रिया चलने के दौरान ही अपीलकर्त्ता ज्योतिष चन्द्र महतो की मृत्यु हो गयी है। उनके स्थान पर उनके पत्नि सरिता देवी को प्रतिस्थानी पक्षकार बनाया गया है।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अपीलकर्त्ता ने दिनांक–20.06.2006 को मौजा–बाबूतालूक नं0–84 के प्रधानी पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन दाखिल किया। अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा ने अपीलकर्त्ता के आवेदन पर अंचल अधिकारी, ठाकुरगंगटी से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गयी। अंचल अधिकारी, ठाकुरगंगटी ने जाँच कर प्रतिवेदन समर्पित किया, जिसमें उन्होंने अपीलकर्त्ता का समर्थन करते हुए संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 6 के तहत मौजा–बाबूतालूक का प्रधान नियुक्त करने के लिए अनुशंसा किया था। चूँकि मौजा–बाबूतालूक प्रधानी मौजा है एवं चमरू महतो उक्त मौजा के प्रधान थे। चमरू महतो को तीन पुत्र क्रमशः भीमराज महतो, दिलमोहन महतो एवं तेजनारायण महतो हुए। अपीलकर्त्ता स्व0 तेजनारायण महतो के पुत्र है एवं अंचल अधिकारी, ठाकुरगंगटी ने भी अपने जाँच प्रतिवेदन में अपीलकर्त्ता के पिता का नाम स्व0 तेजनारायण महतो दर्ज किया है। इससे स्पष्ट है कि

अपीलकर्त्ता प्रधान चमरू महतो के वंशज है। उनका आगे कथन है कि चमरू महतो, मौजा–बाबूतालूक एवं सिंघाईचक के प्रधान थे। उत्तरवादी सूरज कु0 महतो ने भी मौजा–बाबूतालूक के प्रधानी पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन दाखिल किया, जिसपर अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा ने अंचल अधिकारी, ठाकुरगंगटी से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गयी। अंचल अधिकारी, ठाकुरगंगटी के द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। अंचल अधिकारी, ठाकुरगंगटी के द्वारा जाँच प्रतिवेदन में जो वंशावली दर्शाया, उसमें तेजनारायण महतो का नाम छोड़कर दिया गया एवं जाँच प्रतिवेदन में पूर्व प्रधान शनिचर महतो, पे0–स्व0 भीमराज महतो को दिखया गया। जबकि पी0ए0 केश नं0–31/07–08 के आदेश दिनांक–22.09.2008 के जाँच प्रतिवेदन में चमरू महतो की मृत्यु के कारण मौजा–बाबूतालूक का प्रधानी पद रिक्त हुआ है, दिखाया गया था। उनका आगे कथन है कि अंचल अधिकारी, ठाकुरगंगटी के द्वारा जो प्रतिवेदन दिया गया था, वह प्रतिवेदन ग्राम सभा के आधार पर तैयार किया गया था। ग्राम सभा में दर्शाया गया है कि प्रधानी पद चमरू महतो की मृत्यु के कारण रिक्त हुआ है। इससे स्पष्ट है कि शनिचर महतो मौजा–बाबूतालूक का प्रधान नहीं था। गलती से शनिचर महतो के पुत्र सुरज कु0 महतो को मौजा–बाबूतालूक का प्रधान नियुक्त किया गया है। इसलिए अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा का पारित आदेश नियम संगत नहीं है। उन्होंने निम्न न्यायालय के आदेश को निरस्त करने के लिए अनुरोध किया है।

अपीलकर्त्ता की ओर से काल अवधि को क्षान्त करने के लिए लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के तहत आवेदन दिया गया है।

उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि यह सत्य है कि अपीलकर्त्ता ने मौजा–बाबूतालूक के प्रधानी पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन दाखिल किया था। लेकिन अंचल अधिकारी, ठाकुरगंगटी के द्वारा उक्त मौजा के प्रधानी पद पर नियुक्ति के लिए अपीलकर्त्ता के नाम का अनुशंसा नहीं किया गया था। बल्कि अंचल अधिकारी, ठाकुरगंगटी ने अपने पत्रांक–383/रा0 दिनांक–10.09.2020 से भेजे गये जाँच प्रतिवेदन में यह स्पष्ट किया कि उत्तरवादी सुरज कु0 महतो गत जमाबंदी रैयत चमरू महतो प्रधान के उत्तराधिकारी है। उनका आगे कथन है कि चमरू महतो (प्रधान) को तीन पुत्र भीमराज महतो, दिलमोहन महतो एवं तेजनारायण महतो थे। उत्तरवादी सुरज कु0 महतो, भीमराज महतो के पोता है एवं भीमराज महतो,

चमरू महतो के ज्येष्ठ पुत्र है। स्पष्ट है कि तेजनारायण महतो, चमरू महतो के कनिष्ठ पुत्र है एवं भीमराम महतो, चमरू महतो के ज्येष्ठ पुत्र है। इसलिए उत्तरवादी चमरू महतो के ज्येष्ठ पुत्र भीमराज महतो के पोते होने के कारण उत्तरवादी का दावा वैद्य है। चूँकि चमरू महतो मौजा–सिंघाईचक एवं मौजा–बाबूतालूक के प्रधान थे। उनका आगे कथन है कि उत्तरवादी सुरज कु0 महतो के पिता शनिचर महतो, सिंघाईचक के प्रधान थे। उनकी मृत्यु दिनांक–10.11.2012 को होने के कारण उनके स्थान पर नियुक्ति के लिए उत्तरवादी सुरज कु0 महतो के द्वारा आवेदन दाखिल किया गया। चूँकि गत प्रधान शनिचर महतो, सिंघाईचक के साथ ही मौजा–बाबूतालूक के भी प्रधान थे। लेकिन उत्तरवादी ने मौजा–बाबूतालूक के प्रधानी पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन दाखिल नहीं किया था। बाद में जब उत्तरवादी को पता चला कि उनके पिता शनिचर महतो मौजा–बाबूतालूक के भी प्रधान थे। इसलिए उन्होंने उत्तराधिकारी के आधार पर मौजा–बाबूतालूक के प्रधानी पद पर नियुक्ति के लिए संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 6 के तहत आवेदन दाखिल किया। निम्न न्यायालय के द्वारा अपीलकर्त्ता को पर्याप्त अवसर दिया गया है। लेकिन चूँकि अपीलकर्त्ता का दावा संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 6 के तहत नहीं होने के कारण अपीलकर्त्ता को उक्त मौजा का प्रधान नियुक्त नहीं किया गया एवं उत्तरवादी का दावा उत्तराधिकारी के आधार पर होने के कारण उत्तरवादी को उक्त मौजा का प्रधान नियुक्त किया गया है। ऐसी स्थिति में निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियम संगत है। उन्होंने निम्न न्यायालय के आदेश को बरकरार रखते हुए अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन को खारिज करने के लिए अनुरोध किया है।

विज्ञ सरकारी वकील का मंतव्य है कि अंचल अधिकारी, ठाकुरगंगटी के पत्रांक–383/रा0 दिनांक–10.09.2020 से भेजे गये वंशावली से स्पष्ट होता है कि उत्तरवादी सं0–01 सुरज कुमार महतो गत प्रधान शनिचर महतो के पुत्र है एवं जमाबंदी रैयत–सह–प्रधान चमरू महतो के परपोता है एवं अंचल अधिकारी, ठाकुगंगटी ने उत्तराधिकारी के आधार पर उत्तरवादी सुरज कुमार महतो को मौजा–बाबूतालुक का प्रधान नियुक्त करने के लिए अनुशंसा किया गया है। दिनांक–19.01.2021 के आदेश से यह स्पष्ट होता है कि ज्योतिष चन्द्र महतो, पे0–तेजनारायण महतो, सा0–सिंघाईचक पोखरिया के द्वारा भी उक्त मौजा के प्रधानी पद पर नियुक्ति के लिए

आवेदन दिया था। लेकिन वह गत प्रधान के उत्तराधिकारी नहीं थे एवं वह भी नियमित रूप से कार्यवाही में अनुपस्थित रहते थे। जब किसी तरह का कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ तो उत्तरवादी सुरज कुमार महतो को उक्त मौजा का प्रधान नियुक्त किया है। उनका आगे मंतव्य है कि अपीलकर्त्ता के अनुसार पी0ए0 केश नं0–31/2007–08 अभिलेख अभी अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा के न्यायालय में लंबित है और यदि यह सत्य है कि पी0ए0 केश नं0– 12/2019–20 खोलना उचित नहीं है। हालांकि आर0एम0ए0 नं0– 49/21–22(ज्योतिष चन्द्र महतो बनाम् सुरज कुमार महतो एवं अन्य) के अभिलेख से स्पष्ट होता है कि सिंघाईचक की जमाबंदी रैयतों की बैठक दिनांक–30.08.2019 को मुखिया श्रीमति राजी सोरेन के अध्यक्षता में हुआ था एवं उत्तरवादी सुरज कुमार महतो को उक्त मौजा का प्रधान नियुक्त करने के लिए सहमति दिया था तथा किसी को किसी तरह का कोई आपत्ति नहीं था। उनका आगे मंतव्य है कि अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा के पी0ए0 केश नं0 –10/2019–20 में दिनांक–19.01.2021 के पारित आदेश सम्पुष्ट किया जा सकता है।

उपरोक्त तथ्यों, विज्ञ सरकारी वकील के मंतव्य एवं अभिलेखबद्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा–बाबूतालुक प्रधानी मौजा है। उक्त मौजा के पूर्व प्रधान शनिचर महतो, पे0–स्व0 भीमराज महतो की मृत्यु दिनांक–10.11.2012 को हो गयी है। संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 6 के तहत उत्तराधिकारी के आधार पर उत्तरवादी सुरज कुमार महतो की नियुक्ति की गयी है। निम्न न्यायालय में प्राप्त अंचल अधिकारी, ठाकुरगंगटी के द्वारा भेजा गया जाँच प्रतिवेदन के साथ आम सभा का प्रतिवेदन संलग्न है, जिससे स्पष्ट होता है कि उत्तरवादी सुरज कुमार महतो को मौजा–बाबूतालुक के रैयतों का राय प्राप्त है। वर्तमान अपील वाद में विज्ञ सरकारी वकील का मंतव्य है कि मुखिया, राजी सोरेन की अध्यक्षता में आम सभा किया गया था, जिसमें उत्तरवादी सुरज कुमार महतो को मौजा–बाबूतालुक का प्रधान नियुक्त करने के लिए सहमति दिया है, इससे यह स्पष्ट है कि उत्तरवादी आम रैयतों में स्वीकार योग्य है एवं अंचल अधिकारी, ठाकुरगंगटी के द्वारा संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 6 के तहत कार्रवाई के लिए जाँच प्रतिवेदन प्रेषित किया गया था। ऐसी स्थिति में अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा का पारित आदेश नियम के विपरीत प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा के पी0ए0 केश नं0–10/19–20 में दिनांक–19.01.2021 के आदेश को बरकरार रखते हुए अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन अस्वीकृत किया जाता है।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

उपायुक्त
गोड्डा।

उपायुक्त
गोड्डा।

Digitally signed by Zeeshan Qamer
Date: 2023.09.05 12:17:43 +05:30
Location: 172.21.32.1